न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 198/2012

1. सुन्दरलाल पुत्र नत्थी उर्फ बत्तन पुत्र रामचन्द, जाति खाती निवासी रारह तहसील कुम्हेर व जिला भरतपुर
2. मुरारी लाल पुत्र नत्थी उर्फ बत्तन पुत्र रामचन्द, जाति खाती निवासी रारह तहसील कुम्हेर व जिला भरतपुर
3. लक्ष्मीदेवी पुत्री नत्थी उर्फ बत्तन पुत्र रामचन्द पत्नि भीष्मसिंह, जाति खाती निवासी होडल तहसील होडल व जिला पलवल (हरियाणा)

.....**वादीगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88—89 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 18—02—2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गत आराजी खसरा नंबर 420 रकबा 19 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 442 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 443 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर जिसके हाल नंबर 397/0.17, 417/0.27, 418/0.24 व 419/0.17 बने, यह आराजी वादीगण के पिता नत्थी उर्फ बत्तन के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वो जफती जमीदारी से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे उनका स्वर्गवास करीब 31.03.80 को हो चुका है उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण वारिस की हैसियत आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और मुताबिक कानून आराजी के खातेदार हो चुके हैं और आज भी आराजी पर वादीगण खातेदार की हैसियत से काबिज चले आ रहे हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से आराजी के इन्द्राज नत्थी पुत्र रामचंद के नाम गैर खातेदार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में करते चले आ रहे हैं जबकि नत्थी उर्फ बत्तन पुत्र रामचंद का स्वर्गवास करीब 31 साल पूर्व हो चुका है। राजस्व कर्मचारीगण गलत तरीके से इन्द्राज मृतक व्यक्ति के नाम कर रहे हैं, वादीगण मृतक नत्थी उर्फ बत्तन के पुत्र वारिस हैं, उन्होंने कई बार तहसील कर्मचारीगण से यह कहा कि इन्द्राज मृतक व्यक्ति के नाम कर रहे हो, उसे हटाकर हमारे नाम कर दो परन्तु वो टालम टोल कर रहे हैं। दिनांक 12.01.2009 को तहसील कर्मचारियों ने इन्द्राज वादीगण के नाम करने से इन्कार कर दिया।

वादीगण के पिता की आराजी रूंध रारह व रारह गांव में है वादीगण के पिता को गांव रारह में बत्तन कहते थे और उनका वास्तविक नाम बत्तन ही है परन्तु गांव रूंध रारह में राजस्व कर्मचारियों ने गलत तरीके से वादीगण के पिता का नाम नत्थी दर्ज कर दिया जबकि नत्थी पुत्र रामचंद या बत्तन पुत्र रामचंद एक ही व्यक्ति है। परन्तु राजस्व कर्मचारीगण ने रूंध रारह की भूमि पर बत्तन के स्थान पर नत्थी दर्ज कर रखा है इस आधार को लेकर हल्का पटवारी इन्द्राज विरासत वादीगण के नाम नही कर रहे हैं जबकि रारह की भूमि के विरासत का दाखिल खारिज नंबर 23 दिनांक 20.05.1986 को वादीगण के नाम स्वीकार हो चुका है क्योंकि बत्तन या नत्थी एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नही है। इन्द्राज गलत होने से हल्का पटवारी नत्थी के विरासत का दाखिल खारिज वादीगण के नाम नहीं कर रहा है। वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में ही खातेदारी के अधिकार मुताबिक कानून धारा 19 व 15 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के आधार पर खातेदार हो चुके थे। उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, परंतु इन्द्राज गलत होने से वादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है इसलिये वादीगण जरिये अदालत यह घोषित करा पाने के अधिकारी हैं कि आराजी खसरा नंबर 397/0.17, 417/0.27, 418/0.24 व 419/0.17 वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर के बत्तन पुत्र रामचंद जाति खाती निवासी रारह खातेदार काश्तकार

थे उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं व जो इन्द्राज नत्थी पुत्र रामचंद के नाम किये जा रहे हैं उन्हें कलमजन कर इन्द्राज वादीगण को वहिस्सा बराबर का घोषित कर इंद्राज दुरुस्त करा पाने के अधिकारी है।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण इस प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि आराजी खसरा नंबर 397/0.17, 417/0.27, 418/0.24 व 419/0.17 वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर के वादीगण वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज हैं व जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नत्थी पुत्र रामचंद जाति खाती दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज रिकार्ड कराया जावे। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में संवत 2011–2014, 2015–2018, 2019–2022, 2031–2034, 2062–2065 की जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल और खसरा गिरदावरी पेश किये हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर दिनांक 15.07.2009 को अपना जबाव प्रस्तुत किया। दावा व जबाव दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गईं –

तनकी नं0 1:– आया वादीगण राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राजात वहक नत्थी पुत्र रामचंद खाती को कलमजन कराकर वादीगण विवादित आराजी पर अपने नाम वहिस्सा बराबर के खातेदारी के इन्द्राज करा पाने के मुस्तहक हैं।

तनकी नं0 2:– आया वादीगण नत्थी पुत्र रामचंद के स्थान पर बत्तन पुत्र रामचंद/नत्थी व बत्तन पुत्र रामचंद करा पाने के अधिकारी हैं।

तनकी नं0 3:– आया जबाव दावा की मद नंबर 3 के अनुसार दावा वादी काबिल खारिजी योग्य है।

तनकी नं0 4:– आया जबाव दावे की चरण सं0 4 के अनुसार दावा वादी खारिज योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नं0 5:– दादरसी।

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 11.10.2011 को साक्ष्य वादी में गवाह सुन्दरलाल PW1 व शिवचरण PW2 के शपथ पत्र पेश हुए। किन्तु प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22.03.2012 को जिरह का मौका समाप्त किया गया। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई, किंतु बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर दिनांक 09.12.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नं0 1:– " आया वादीगण राजस्व रिकार्ड में हो रहे इन्द्राजात वहक नत्थी पुत्र रामचंद खाती को कलमजन कराकर वादीगण विवादित आराजी पर अपने नाम वहिस्सा बराबर के खातेदारी के इन्द्राज करा पाने के मुस्तहक हैं।" – इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर है। साविक आराजी खसरा नंबर 420 रकबा 19 बिस्वा, 441 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 442 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 443 रकबा 18 बिस्वा से क्रमशः हाल खसरा नंबर 397/0.17, 417/0.27, 418/0.24, 419/0.17 निर्मित हुए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2011 में खसरा नंबर 441,442, 443 का नत्थी पुत्र रामचन्द जाति खाती साकिन रारह मौरूसी दर्ज है। खसरा नंबर 420 रकबा 19 बिस्वा किस्म बंजड़ कदीम खसरा गिरदावरी संवत 2019 वाके ग्राम रूंध रारह के कालम सं. 6 में उपकृषक के खाने में नत्थी पुत्र रामचन्द गैर खातेदार अंकित है। इसके बाद संवत 2019–2022 व 2031–2034 में भी खसरा नंबर 441, 442, 443, 420 पर नत्थी वल्द रामचन्द के नाम आराजी किस्म बारानी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त साविक खसरा नम्बरान से निर्मित हाल खसरा नंबर 397, 417, 418, 419 पर वादीगण संवत

2062–2065 एवं 2070–2073 पर गैर खातेदार के रूप में दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण को अपने पिता नत्थी उर्फ बत्तन से विरासतन प्राप्त हुई है। वादीगण नत्थी उर्फ बत्तन के पुत्र व पुत्रियां हैं, जो उसके विधिक वारिसान हैं। इस प्रकार वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को गैर खातेदार से खातेदार पूर्ण रूप से घोषित कराने के अधिकारी हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– " आया वादीगण नत्थी पुत्र रामचंद के स्थान पर बत्तन पुत्र रामचंद/नत्थी व बत्तन पुत्र रामचंद करा पाने के अधिकारी हैं।" – इस तनकी को भी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बरान नत्थी वल्द रामचंद जाति खाती के नाम दर्ज है और हाल खसरा नंबरान पर हाल जमाबंदी संवत 2070–2073 में वादीगण के पिता के रूप में नत्थी उर्फ बत्तन का नाम दर्ज रिकार्ड है। इस बावत तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार नत्थी उर्फ बत्तन एक ही व्यक्ति का नाम है। नत्थी व बत्तन अलग–अलग व्यक्ति नहीं हैं। और इसका अंकन हाल जमाबंदी में भी हो रहा है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबरान 397, 417, 418, 419 किता 4 रकबा 0.85 हैक्टेयर पर मौके पर गेहूं की फसल खड़ी हुई है। आराजी पर वादीगण ही काबिज है। इस प्रकार नत्थी उर्फ बत्तन एक ही व्यक्ति होने से यह तनकी भी वहक वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 3:– " आया जबाव दावा की मद नंबर 3 के अनुसार दावा वादी काबिल खारिजी योग्य है। " – इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है। प्रतिवादी ने अपने जबाव दावे की मद सं. 3 में अंकित किया है कि वादीगण एवं इनके पूर्वज आराजी मुतनाजा पर संवत 2012 में गैर मौरूसी नहीं रहे हैं। इसके विपरीत वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2011 के अनुसार वादीगण के पिता नत्थी पुत्र रामचंद साविक खसरा नंबर 441, 442, 443 पर मौरूसी दर्ज रिकार्ड है। उसके पश्चात संवत 2019 से साविक खसरा नंबर 420, 441, 442, 443 पर नियमित रूप से गैर खातेदार

चले आ रहे हैं और उक्त आराजी के वर्तमान नंबरों पर नत्थी पुत्र रामचंद के वारिसान के रूप में वादीगण काबिज आराजी हैं। इस प्रकार यह तनकी भी वहक वादीगण व विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– " आया जबाव दावे की चरण सं0 4 के अनुसार दावा वादी खारिज योग्य है। " – इस तनकी को भी सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी का है। वादीगण के पिता नत्थी उर्फ बत्तन एक ही व्यक्ति हैं। इस बावत तहसीलदार भरतपुर से भी रिपोर्ट ली जा चुकी है और इस संबंध में अब कोई विस्तृत विवेचना की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तनकी भी वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसीः– उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। अतः दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम रूंध रारह तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 397/0.17, 417/0.27, 418/0.24, 419/0.17 पर वादीगण को वहिस्सा बराबर गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official